# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2679/2015**

महावीर प्रसाद

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. देवेन्द्र कुमार प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेनपुर मुण्डावर, अलवर।
4. सुरेन्द्र सिंह, प्रधानाध्यापक, राउमावि इन्द्रास नागौर।
5. बसन्त कुमार प्रधानाध्यापक, राउमावि पालडी, कुचामन, नागौा।
6. मूल सिंह, प्रधानाध्यापक, राउमावि, जसवंतपुरा, नागौर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 28.10.2015
**आदेश की दिनांक** : 14.05.2024

**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेश चन्द गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी की पदोन्नति पातेय वेतन पर दिनांक 28.04.2010 को प्रधानाध्यापक के पद पर की गयी। अपीलार्थी को नियमित पदोन्नति प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य के पद पर नहीं दी गयी, जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को नियमित डीपीसी द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 एवं 4 अपीलार्थी से कनिष्ठ है, जिन्हें आदेश दिनांक 30.09.2015 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गयी है। इसके अलावा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 को भी पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ अध्यापक के पद से प्रधानाध्यापक के पद पर रिव्यू डीपीसी की जाकर अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति दिये जाने की दिनांक से पदोन्नति का लाभ दिया जाए।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का सीधी भर्ती से जोधपुर मण्डल में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर

चयन होने के बाद वरिष्ठता क्रमांक 1787 अवधि 1985–86 पर नामांकित किया गया। उक्त के आधार पर अपीलार्थी को प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद पर नियमित डीपीसी वर्ष 2015–16 में चयनित किया गया परंतु अपीलार्थी उक्त मण्डल में कार्यरत नही होने से (अन्यत्र सेवारत होने) उक्त चयन को रिव्यू डीपीसी 23.11.2015 द्वारा निरस्त किया गया। अपीलार्थी के द्वारा व०अ० सीधी भर्ती से बीकानेर मण्डल में पदस्थापन पर कार्यग्रहण के फलस्वरूप मण्डल वरिष्ठता 504 एवं राज्य वरिष्ठता कमांक 2911 अवधि 1990–91 में नामांकित किया गया। उक्त वरिष्ठता के आधार पर अपीलार्थी का व्याख्याता–कॉमर्स पर डीपीसी वर्ष 2013–14 में चयनित किया गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा परित्याग किया गया एवं पुनः डीपीसी वर्ष 2016–17 में व्याख्याता–कॉमर्स पद पर चयन होने पर अपीलार्थी द्वारा कार्यग्रहण किया गया। अपीलार्थी का चयन पुनः प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद पर 2017–18 की डीपीसी में भी किया गया, जो कि व्याख्याता चयन 2016–17 के कारण त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया गया। अपीलार्थी की स्थिति अपील में वर्णित अभ्यर्थियों से अलग है, उनसे अपीलार्थी की तुलना आधारहीन है। अपीलार्थी द्वारा उक्त तथ्य अपील में जानबूझ कर छिपाये गये है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से दिये गये जवाब से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की सीधी भर्ती जोधपुर मण्डल में हुई थी, बाद में अपीलार्थी बीकानेर मण्डल में पदस्थापित हुआ था। इस कारण से मण्डल वरियता परिवर्तित हुई हैं। यह तथ्य अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित नहीं किया है। यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2013–14 में व्याख्याता कॉमर्स विषय के लिये चयनित किया गया था, जिसका अपीलार्थी ने परित्याग किया था एवं पुनः डीपीसी वर्ष 2016–17 में व्याख्याता कॉमर्स के पद पर चयन किया गया, जिस पर अपीलार्थी ने कार्य ग्रहण किया। अतः हम पाते हैं कि अपीलार्थी का मण्डल परिवर्तन के कारण उनकी वरियता प्रभावित हुई है। अपीलार्थी पूर्व के मण्डल में कार्यरत निजी प्रत्यर्थियों के अनुसार वरिष्ठता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**